बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17 नि0 (सर्वे/री–सर्वे) – 01/2012.....

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर ~~बन्दोबस्त पदाधिकारी,~~ समाहर्ता,
दरभंगा।

पटना, दिनांक :–

विषय :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–1709 दिनांक 26.01.2012 की प्रति का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–131 दिनांक 20.04.2013 के संबंध में कहना है कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–1709 दिनांक 26.01.2012 की प्रति पूर्व में आपके कार्यालय को भेजी गई है।

सुलभ प्रसंग हेतु पुनः इसकी प्रति भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(कल्पना कुमारी)
सहायक निदेशक

ज्ञापांक :– 17 नि0 (सर्वे/री–सर्वे) – 01/2012.....917..... **पटना, दिनांक** :–16/05/13

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ। कृपया संलग्न पत्रांक–1709 दिनांक 26.01.2012 को बेवसाइट पर प्रदर्शित कर दें।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

(कल्पना कुमारी)
सहायक निदेशक

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :-17 नि0 (सर्वे ...-सर्वे)-01/2012 1709

डा0 सी0 अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

पटना दिनांक 26-10-2012

नालन्दा जिला में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला प्रशासन की भूमिका के संबंध में।

निदेशानुसार संकेत करना है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रमों के ... में जिला प्रशासन की भूमिका निर्विवाद है। इस पत्र के माध्यम से मैं इस संबंध में ... महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :-

किस्तवार प्रचालन पर लागत समय को न्यूनतम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपयोग में लायी जा रही है। आपसे अपेक्षा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तैयार कराए गए ग्राम मानचित्रों में दर्शायी गई ग्रामों की सीमा आदि की सरजमीन पर जाँच करा लें। कोई विसंगति पाए जाने पर संबंधित एजेंसी को ... निदेश दें कि वे अविलंब उसका सुधार कर नक्शा वापस सर्वेक्षण शिविर को ... । इसके लिए आवश्यक है कि बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से ... के सभी मौजा के विगत सर्वे के मानचित्र शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किए जाएँ एवं तकनीकी एजेंसी द्वारा तैयार किए गए मानचित्र से उसका मिलान किया जाय। कहीं कोई विसंगति होने पर सरजमीन की स्थिति मानचित्र में दर्शायी जाए।

... तकनीकी एजेंसी को निदेश दिया जाय कि वे विगत सर्वे के मानचित्र की ... अपने पास रखें एवं विगत सर्वे के मानचित्र तथा उनके द्वारा तैयार किए गए मानचित्र की भू-खण्डवार तुलनात्मक विवरणी तैयार करवाएँ। जहाँ कहीं भी विभाग ... द्वारा निर्धारित प्रतिशत से अधिक का अन्तर सामने आता हो, उस भू-खण्ड की ... पुनर्मापी कराई जाए एवं सरजमीन के अनुसार नक्शा सुधार कराया जाए। विगत सर्वे के किसी भू-खंड से निर्मित यदि एक से अधिक भू-खंड सरजमीन पर अवस्थित हैं, तो संबंधित रकबा का कुल योग एजेंसी को बताया जाए एवं आवश्यकतानुसार मानचित्र सुधार की कार्रवाई करने हेतु एजेंसी को निदेशित किया जाए।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के अध्याय - 5 में किस्तवार शिविर में मानचित्र सत्यापन की विशद प्रक्रिया प्रावधानित की गयी है, जिसका सूक्ष्मता से अवलोकन एवं क्रियान्वयन आवश्यक है।

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम की धारा – 7(2) के तहत खानापुरी – अचल कार्यालय के एक पदाधिकारी / राजस्व कर्मचारी भी रहेंगे। कृपया खानापुरी दल में उक्त पदाधिकारी / कर्मचारी को समाविष्ट करने से संबंधित आदेश अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें।

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम की धारा – 5 के तहत भू–धारियों द्वारा स्व–घोषणा का प्रावधान है। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी अचल कार्यालयों / सर्वेक्षण शिविरों में आवश्यक मात्रा में स्व–घोषणा प्रपत्र उपलब्ध हो जाय एवं उनका ग्रामीणों के बीच वितरण करते हुए वापस प्राप्त किया जाय। अचल कार्यालयों में उनकी पावेष्टि का सत्यापन किया जाय एवं सत्यापन प्रमाण पत्र सहित स्व–घोषणा प्रपत्र सर्वेक्षण शिविरों में भेज दिए जाय।

जिन मौजों में नक्शों का सरजमीनी सत्यापन हो चुका हो, उनमें खानापुरी की कार्रवाई अविलंब प्रारंभ कराई जाय। रैयतों को नोटिसें भेजी जाएँ। आपत्तियाँ एवं दावे प्राप्त किये जायँ एवं उनका विहित विधि से निष्पादन किया जाय। उपर्युक्त अधिनियम की धारा – 7 (5) में यह प्रावधान है कि 'खानापुरी दल लोक भूमि, सरकारी भूमि, सार्वजनिक सम्पति ससाधन के रूप में ली जाने वाली भूमि तथा अन्य ऐसी भूमि की पहचान तथा सीमांकन करेगा एवं उसे अधिकार अभिलेख में अभिलिखित करेगा।" इस परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। **लोकभूमि पर अनधिकृत रूप से कायम जमाबंदियों को बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के सुसंगत प्रावधानों के तहत रद्द करने की कार्रवाई की जाए।** तदनुसार सर्वेक्षण शिविर को भी वस्तुस्थिति की जानकारी देने की कार्रवाई की जाए।

विभिन्न राजस्व मौजों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के प्रचालनों में अनुमंडल पदाधिकारी / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित मौजों का क्षेत्रीय भ्रमण नियमित रूप से करें। किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई को जिला पदाधिकारी / बंदोबस्त पदाधिकारी को तत्काल प्रतिवेदित करें। खानापुरी दल में अचल कार्यालय के प्रतिनिधि भी होंगे। अनुमंडल पदाधिकारी / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता स्व–घोषणा प्रपत्रों की अचल कार्यालयों में अपेक्षित संख्या में आपूर्ति / रैयतों को उसे उपलब्ध कराने / रैयतों के द्वारा भर गए प्रपत्रों के अचल स्तर पर सत्यापन का भी पर्यवेक्षण तथा किए जा रहे सत्यापनों की राजस्व अभिलेखों से नमूना जाँच करेंगे। ये कार्य मौजावार किये जाएँगे।

इस क्रम में उपर्युक्त अधिनियम की धारा – 11 (2) द्रष्टव्य है जिसमें यह प्रावधान है कि "अधिकार–अभिलेख के संबंध में दावे एवं आपत्तियाँ, उसके अंतिम प्रकाशन के 3(तीन) माह के भीतर दायर किए जा सकेंगे तथा वैसे दावों एवं आपत्तियों का निपटारा, विहित रीति से, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।"

निहार विशेष सर्वेक्षण एवं बदोबस्त नियमावली, 2012 के नियम – 9(1) के तहत किसी राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्य आरंभ करने के पूर्व, ग्रामवार तेरिज अर्थात विगत अधिकार अभिलेख का संक्षिप्त सार तथा खेसरा पंजी तीन प्रतियों में क्रमशः प्रपत्र – 5 एवं प्रपत्र –6 में तैयार किए जाएँगे।" कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि आपके अभिलेखागार से विगत सर्वे के सुसंगत अभिलेखों सहित संबंधित शिविरा को समय उपलब्ध करा दिए जाएँ। उपर्युक्त नियमावली के नियम – 9(1) के अंतर्गत प्रावधानित अभिलेखों/विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम की धारा – 5 में उपबंधित भू–धारियों द्वारा स्व–घोषणा प्रपत्र को, खानापुरी प्रारंभ करने के पहले आधारभूत संदर्भ मानते हुए खानापुरी शिविर आगे की कार्रवाई प्रारंभ करेगा। इसका उल्लेख बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली के नियम की धारा – 7(4) में इस प्रकार किया गया है : "आधारभूत अभिलेख तैयार करते समय खानापुरी दल रैयती जोतों, स्वत्व तथा स्वामित्व के निर्धारण के विषय में अद्यतन जमीनी वास्तविकताओं, परिवर्त्तनों, अन्तरणों, उप विभाजनों, बंटवारों, आनुवंशिक न्यागमन, बंदलैन तथा ऐसी अन्य बातों का ध्यान रखेगा।"

8 आप अवगत हैं कि समय–समय पर भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य संवेदकों के द्वारा कराया गया है। भू–अभिलेखों को विभिन्न अंचल कार्यालयों में विभिन्न कारणों से अद्यतन नहीं किया जा सका है। फलस्वरूप कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी ठोस, एकरूप, अद्यतन सर्वेक्षित आधारों पर नहीं कराया जा सका। समय–समय पर इस संबंध में अनुदेश भी निर्गत किए गए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी बुझारत करते हुए, पंजी – 1बी (अंचलों में संधारित चालू खतियान) को अद्यतन करते हुए ही संवेदकों के माध्यम से डाटा प्रविष्टि का कार्य कराया जाय। पूर्व में प्रविष्ट किए गए डाटा के पुनर्सत्यापन का कार्य भी व्यवस्थित ढंग से नहीं हो सका। इस प्रकार के संकलित डाटा को खानापुरी शिविर के उपयोगार्थ विश्वसनीय आधारभूत सूचना नहीं माना जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में उपर्युक्त अधिनियम/नियमावली में खानापुरी शिविर के माध्यम से अद्यतन जमीनी वास्तविकताओं एवं अन्य सुसंगत प्राथमिक कागजातों/दस्तावेजों को संदर्भित करने का प्रावधान किया गया है। विगत सर्वे के बाद के वर्षों में किसी प्रकार की विसंगति या किसी भी स्तर पर की गयी अनियमितता को मान्यता न मिले, इस पर पूर्णतः सतर्क रहना है। इस क्रम में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की प्रस्तावना (vii) तथा (viii) कृपया अवलोकनीय है।

5. समय समय पर विभिन्न अनुमंडलों / अंचलों के अन्तर्गत पड़ने वाले राजस्व ग्राम उन्मुखीकरण शिविर आयोजित कराये जाएँ। इन शिविरों में बंदोबस्त से पदाधिकारी / चयनित एजेंसी के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त जिला मुख्यालय के अधिकारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित उप समाहर्त्ता भूमि सुधार तथा संबंधित अंचलाधिकारी भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। अनुरोध है कि अपने स्तर से मौजावार [illegible] समय समय पर निर्गत करने का कष्ट करें। ग्राम उन्मुखीकरण शिविरों का प्रयोजन संबंधित रैयतों को अधिनियम एवं नियमावलियों के प्रावधानों / हवाई सर्वेक्षण से निर्मित्त मानचित्रों / ETS तथा DGPS उपकरणों से अवगत कराना तथा उनकी पृच्छाओं का समाधान करना होगा।

उपर्युक्त अनुदेश बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा – 24 एवं 27 के तहत निर्गत किए जा रहे हैं।

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के प्रचालनों में किसी भी कठिनाई / समस्या का अविलंब विभाग / निदेशालय को संसूचित करने की कृपा की जाए। विगत सर्वे मानचित्रों के संबंध में श्री रविशंकर तिवारी, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना (मो0 – 9199216016) से सीधा संपर्क किया जा सकता है।

कृपया इस पत्र की प्रतिलिपि जिले में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से जुड़े हुए सभी अधिकारियों / सभी अनुमंडल पदाधिकारियों / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं / सभी अंचलाधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

26.10.12

(सी0 अशोकवर्धन)

प्रधान सचिव

समय समय पर विभिन्न अनुमंडलों / अंचलों के अन्तर्गत पड़ने वाले राजस्व मौजों में ग्राम उन्मुखीकरण शिविर आयोजित कराये जाएँ। इन शिविरों में बंदोबस्त से जुड़े पदाधिकारी / चयनित एजेंसी के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त जिला मुख्यालय के अधिकारी, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित उप समाहर्त्ता भूमि सुधार तथा संबंधित अंचलाधिकारी भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। अनुरोध है कि अपने स्तर से मौजावार रोस्टर समय समय पर निर्गत करने का कष्ट करें। ग्राम उन्मुखीकरण शिविरों का प्रयोजन संबंधित रैयतों को अधिनियम एवं नियमावलियों के प्रावधानों / हवाई सर्वेक्षण से निर्मित मानचित्रों / ETS तथा DGPS उपकरणों से अवगत कराना तथा उनकी पृच्छाओं का समाधान करना होगा।

उपर्युक्त अनुदेश बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 24 एवं 27 के तहत निर्गत किए जा रहे हैं।

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के प्रचालनों में किसी भी कठिनाई / समस्या को अविलंब निभाग / निदेशालय को संसूचित करने की कृपा की जाए। विगत सर्वे मानचित्रों के संबंध में श्री रविशंकर तिवारी, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना (मो० – 9199216016) से सीधा संपर्क किया जा सकता है।

कृपया इस पत्र की प्रतिलिपि जिले में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से जुड़े हुए सभी अधिकारियों / सभी अनुमंडल पदाधिकारियों / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं / सभी अंचलाधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17 नि0 (सर्वे / री–सर्वे)–01 / 2012 1709 पटना, **दिनांक** :– 26-10-12

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार (नालंदा को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस पत्र की प्रतिलिपि सभी संबंधित को अपने स्तर से शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराते हुए अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17 नि0 (सर्वे / री–सर्वे)–01 / 2012 1709 पटना, **दिनांक** :– 26-10-12

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया अपने स्तर से विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के प्रचालनों की मासिक / पाक्षिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17 नि0 (सर्वे / री–सर्वे)–01 / 2012 1709 पटना, **दिनांक** :– 26-10-12

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17 नि0 (सर्वे / री–सर्वे)–01 / 2012 1709 पटना, **दिनांक** :– 26-10-12

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / प्रधान सचिव, कृषि विभाग बिहार / माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को अवलोकनार्थ प्रेषित।

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव